Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC VKSU
Date - 09.07.2021, BA I (subs.)

न्याय का नारीवादी सिद्धांत

नारीवादी सिद्धांत नारी पर पुरुष के प्रभुत्व को एक पुरुष प्रधान समाज द्वारा दिए हुए अभिशाप का नाम देता है। नारीवाद का विचार समानता पर आधारित है। इनकी दृष्टि में न्याय का अर्थ है - महिलाओं के आत्मबोध से लिंग की असमानता को दूर करना और इसके कारण उनको निःसहाय और अबलापन की भावना से मुक्त करना। नारीवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुसार स्त्रियां संपूर्ण समाज को स्वस्थ विकास की राह दिखा सकती है।

जेनेट रैडक्लिफ रिचर्डस ने अपनी निबंध "द स्केप्टिकल फेमिनिस्ट" 1982 में लिखा है कि न्याय तो व्यक्ति के अपने भाग्य और भविष्य निर्माण की स्वतंत्रता से जुड़ा है और नारियों को इस स्वतंत्रता से बड़े व्यवस्थित ढंग से वंचित रखा गया है। रॉल्स और सम. ओकिन की भांति वे ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हैं जिसमें महिलाएं भी पुरुषों की भांति अपनी सभी क्षमताओं की सीमाओं की खोज करने को स्वतंत्र होंगी। लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण समाज में पुनः काम का पुनः बंटवारा इस प्रकार करना होगा कि महिलाओं के समक्ष विकल्पों की संख्या बढ़े और परिवार की संवृद्धि के दायित्वों और ~~खर्चों~~ का पति पत्नी के बीच समतापूर्ण विभाजन हो। महिलाएं ज्यादा परिश्रमी होती हैं, वे पर्यावरण के भी निकट रहती हैं। उनके ~~मानसिक~~ विवेक बुद्धि, कौशल का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए हितकारी होगा।

Scanned with CamScanner

जॉन रॉल्स का अनुबंधवादी न्याय सिद्धांत -

Book - A theory of Justice (1972), में स्वतंत्रतावादी न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है। उनके न्याय सिद्धांत में विवेक युक्त समझौते करने वालों की आरंभिक स्थिति की कल्पना की गई है जिसमें अज्ञानता के पर्दे में रह रहे लोग परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। उनके द्वारा किया गया समझौता औचित्य व न्याय पर आधारित होता है।

1. न्याय का अर्थ है निष्पक्षता
2. समाज स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों के बीच सहयोग की एक साफ सुथरी व्यवस्था है।
3. इस व्यवस्था का उद्देश्य स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्ति के लिए उचित सिद्धांत तलाश करना है।
4. ये, सिद्धांत, जिनका उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता की तलाश है, पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से लोगों के बीच एक समझौते के परिणाम है।
5. स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करने के बाद लोग अपने हित के लिए समान प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता पर ध्यान देने लगते हैं।

प्राथमिक वस्तुएं निम्न हैं:- मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, अवसर, आय, धन तथा आत्म सम्मान।

6. न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का समान रूप से वितरण हो। यह वितरण तभी असमान होगा जबकि उसका उद्देश्य उपाप्तियों के हित में हो। दूसरे शब्दों में, समाज में स्थापित असमानताओं के परिवेश में न्याय पिछड़े लोगों को अधिकतम लाभ दिलाता है।

→

Scanned with CamScanner